प्रावधायी निधि योजना

प्रश्न 1 प्रावधायी निधि क्या है ?

उत्तर प्रावधायी निधि से तात्पर्य एक ऐसी निधि से है, जिसमें विभिन्न अभिदाताओं द्वारा उनके जीपीएफ खातों में अंशदान राशि जमा कराई जाती है और इन जमा राशियों पर नियमान्तर्गत ब्याज की राशि प्रदान की जाती है।

प्रश्न 2 सामान्य प्रावधायी निधि योजना क्या है ?

उत्तर कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित अनिवार्य बचत योजना है, जो सेवानिवृति पर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा मृत्यु की अवस्था में उनके आश्रितों को आर्थिक संबल प्रदान करती है। योजना में सेवानिवृति/सेवात्याग/सेवा पृथकीकरण पर अभिदाता स्वयं को एवं मृत्यु की दशा में मनोनीत को समस्त राशि मय ब्याज भुगतान की जाती है।

प्रश्न 3 योजना किन नियमों के अंतर्गत लागू है ?

उत्तर योजना राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के अंतर्गत लागू है। पूर्व में यह योजना राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1954 एवं तत्पश्चात 1997 के अंतर्गत लागू थी।

प्रश्न 4 योजना कब से एवं किन पर अनिवार्य/ऐच्छिक रूप से लागू है ?

उत्तर योजना दिनांक 01.04.1954 से समस्त राज्य कर्मचारियों पर ऐच्छिक एवं राज्य बीमा योजना मे प्रविष्टी हेतु अयोग्य घोषित कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू की गई थी, जिसे दिनांक 01.05. 1980 से समस्त राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।

प्रश्न 5 प्रावधायी निधि योजना क्या दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू है ?

उत्तर जी नहीं, उक्त योजना 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियो पर लागू नहीं है ऐसे कर्मचारियों पर एनपीएस लागू थी। राज्य सरकार के ओपीएस के नीतिगत निर्णय पश्चात इन कर्मचारियों पर दिनांक 01.04.2022 से जीपीएफ– 2004 योजना अनिवार्य रूप से लागू की गई है। पूर्व में जीपीएफ –2004 योजना इन कर्मचारियों पर नवम्बर, 2020 से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित एवं जीपीएफ में जमा की जाने वाली राशियों के लिए अनिवार्य रूप से एवं कार्मिकों के लिए स्वैच्छिक रूप से शुरू की गई थी।

प्रश्न 6 क्या सामान्य प्रावधायी निधि में निर्धारित खण्ड दर से अधिक कटौति करवाई जा सकती है ?

उत्तर जी हां, राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के नियम 10 के अनुसार यदि अंशदाता चाहे तो अनिवार्य प्रावधायी निधि की निर्धारित खण्ड दर से अधिक कटौति करवा सकता है, परन्तु यह कटौति वित्तीय वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती।

प्रश्न 7 क्या सामान्य प्रावधायी निधि योजना में जमा करवाई जाने वाली राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत छूट का प्रावधान है ?

उत्तर जी हां, सामान्य प्रावधायी निधि योजना में जमा करवाई जाने वाली राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 88 के तहत छूट का प्रावधान है।

प्रश्न 8 योजना के अंतर्गत भुगतान किन– किन परिस्थितियों में देय है ?

उत्तर योजना में जमा राशि कर्मचारियों को सेवानिवृति/सेवात्याग/अनिवार्य सेवानिवृति तथा सेवा निष्कासन पर देय है, किन्तु अंशदाता चाहे तो सेवानिवृति पश्चात प्राप्त सेवानिवृति परिलाभों को वित्त विभाग की दिनांक 30.03.1999 की अधिसूचना एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के नियम 4 के अनुसार जीपीएफ खाते में जमा करवा सकता है।

प्रश्न 9 प्रावधायी निधि में जमा राशि पर वर्तमान में ब्याज दर कितनी है ?

उत्तर प्रावधायी निधि हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर ब्याज दर घोषित की जाती है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2023–24 के लिए 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर घोषित है।

प्रश्न 10 प्रावधायी निधि में जमा राशि पर ब्याज दर की गणना कैसे की जाती है ?

उत्तर प्रत्येक अंशदाता के प्रावधायी निधि खाते में वर्ष के दौरान प्राप्त राशि के प्रोग्रेसिव योग पर एवं वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष पर निर्धारित ब्याज दर से ब्याज गणना की जाती है। इस तरह प्रावधायी निधि खाते में जमा राशि पर अभिदाता को चक्रवर्ती दर से ब्याज का लाभ प्राप्त होता है।

प्रश्न 11 योजना के अंतर्गत अस्थायी आहरण का क्या प्रावधान है ?

उत्तर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 में अस्थायी आहरण का प्रावधान समाप्त किया जा चुका है।

प्रश्न 12 योजना के अंतर्गत स्थायी आहरण का क्या प्रावधान है ?

उत्तर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के नियम 14 के अनुसार कोई भी अभिदाता 5 वर्ष पश्चात सेवावधि के आधार पर 10 से 50 प्रतिशत तक आहरण बिना कारण बताये प्राप्त कर सकता है। कारण उल्लेखित करने की दशा में विभिन्न कारणों के आधार पर 50 एवं 75 प्रतिशत आहरण प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 13 सामान्य प्रावधायी निधि में मनोनयन के क्या प्रावधान है ?

उत्तर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के नियम 5 के अनुसार कोई भी अभिदाता परिवार के सदस्यों के पक्ष में मनोनयन कर सकता है। परिवार नहीं होने की दशा में अभिदाता किसी अन्य व्यक्ति को भी मनोनीत कर सकता है। परिवार की परिभाषा में पति/पत्नी, पुत्र/पुत्रियां, अव्यस्क भाई, अविवाहित बहनें एवं माता–पिता एवं माता–पिता नहीं होने की स्थिति में दादा–दादी सम्मिलित है।

प्रश्न 14 प्रावधायी निधि पासबुक का सत्यापन किस प्रकार करवाया जाता है ?

उत्तर प्रावधायी निधि पासबुकों का संधारण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की पासबुकें अपने राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय में भिजवाई जाती है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अपने रिकॉर्ड से पासबुकों में दर्ज राशियों का सत्यापन कर प्रारम्भिक शेष, ब्याज एवं अंतिम शेष का अंकन कर पासबुकें संबंधित कार्यालय को भिजवा दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से समस्त कटौतियां विभागीय पोर्टल (एसआईपीएफ पोर्टल) पर ऑनलाईन प्रदर्शित होने के कारण उक्त अवधि की पासबुक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 15 क्या सेवानिवृति पश्चात सामान्य प्रावधायी निधि खाता खोला जा सकता है ? यदि हां तो उसका क्या प्रावधान है ?

उत्तर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के नियम 4 के अंतर्गत यदि सेवानिवृत कार्मिक चाहे तो सेवानिवृति पश्चात भी सामान्य प्रावधायी निधि का खाता खुलवा सकता है। अभिदाता द्वारा सेवानिवृति पश्चात प्राप्त परिलाभों की राशि यथा प्रावधायी निधि, राज्य बीमा, अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों की नकद भुगतान, पेंशन रूपांतरण राशि एवं सेवा उपादान राशि (Gratuity) जमा करवाई जा सकती है, जिस पर जीपीएफ की प्रचलित ब्याज दर से ब्याज भुगतान का प्रावधान है। सेवानिवृत कर्मचारी कभी भी राशि का पूर्ण/ आंशिक भुगतान प्राप्त कर सकता है अर्थात जमा राशि के भुगतान पर कोई लॉक–इन पीरियड नहीं है।

प्रश्न 16 सेवानिवृति पश्चात सामान्य प्रावधायी निधि खाता किन–किन द्वारा खुलवाया जा सकता है ?

उत्तर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के नियम 4 के अंतर्गत कोई भी सेवानिवृत कार्मिक जो प्रावधायी निधि का सदस्य रहा हो, सेवानिवृति पश्चात प्राप्त सेवानिवृति परिलाभों को जमा करवाते हुये प्रावधायी निधि खाता खुलवा सकता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.06.2012 द्वारा अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों एव राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों को भी उक्त सुविधा का लाभ प्रदान किया गया है।

प्रश्न 17 क्या सामान्य प्रावधायी निधि के अंतर्गत भुगतान योग्य राशि किसी डिक्री के क्रियान्वयन के लिए अधिग्रहित की जा सकती है ?

उत्तर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के नियम 17 के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि के अंतर्गत भुगतान योग्य राशि अधिग्रहण/ या किसी डिक्री के क्रियान्वयन के लिए कुर्की से मुक्त है और ऐसी संपूर्ण राशि इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुये कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के कारण यह किसी अन्य व्यक्ति को देय है, अधिग्रहण से मुक्त रहेगी।